रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032023-244208
CG-DL-E-09032023-244208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944
No. 135]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

सा. का. नि. 174(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) संशोधन भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में, कांस्टेबल पद से संबंधित क्रम संख्यांक- 5 के सामने-

(i) स्तंभ (6) में ,- प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

टिप्पण 1: भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी।

टिप्पण 2: भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन वर्ष तक शिथिल की जाएगी।

(ii) स्तंभ (7) में ,- खंड (ii) के पश्चात,निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा,अर्थात्: -

"टिप्पण: भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी" ;

(iii) स्तंभ (10) में, टिप्पण को उसके टिप्पण 1 के रूप में सख्यांकित किया जाएगा और टिप्पण 1 के पश्चात ऐसे सख्यांकित करने के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा,अर्थात्: -

"टिप्पण 2:- रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा ।

[फा. सं. सी-17/07/2022/ कार्मिक-गोपनीय /सीसुब]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव (कार्मिक)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड(i) अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 830(अ), तारीख 30 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 1208(अ) तारीख 28 सितंबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2023

G.S.R.174(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015,namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) (Amendment) Recruitment Rules, 2023.

(2)They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 5 relating to the post of Constable,-

(i) in Column (6),- in the entry, after the end the following Notes shall be inserted, namely :-

"**Note 1:** The upper age- limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers.

Note 2: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.";

(ii) in Column (7),- after clause(ii), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Ex- Agniveers shall be exempted from Physical Efficiency Test".;

(iii) in Column (10),Note shall be numbered as Note1 thereof and after Note 1 as so numbered, the following Note shall be inserted, namely:-

"**Note 2:-** Ten percent of the vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers".

[F. No. C-17/07/2022/Pers-Confdl/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy. (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3,Sub-Section (i), *vide* notification number G.S.R. 830(E), dated the 30th October,2015, and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 1208(E) dated the 28th September, 2017 .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.09 23:03:38 +05'30'